



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020

श्रावण 30, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 8/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91टी०सी०-1

लखनऊ, 21 अगस्त, 2020

शुद्धि-पत्र

प०आ०-185

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 76-क के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 24 मई, 2017 से सरकारी अधिसूचना संख्या 05/2017/299/94-स्टा०नि०-2-2017-500(5)/91टी०सी०, दिनांक 24 मई, 2017 में किये गये संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या 06/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91टी०सी०-1, दिनांक 20 अगस्त, 2020 के हिन्दी संस्करण की चौथी पंक्ति में उल्लिखित "सरकारी अधिसूचना संख्या 05/2017/299/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91टी०सी०" के स्थान पर "सरकारी अधिसूचना संख्या 05/2017/299/94-स्टा०नि०-2-2017-500(5)/91टी०सी०" पढ़ा जाय।

2-अधिसूचना संख्या 06/2020/525/94-स्टा०नि०-2-2020-500(5)/91टी०सी०-1, दिनांक 20 अगस्त, 2020 को इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3-अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त, 2020 में शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव।